निगरानी / टीए/ 7276 / 2006 / जिला बांसवाडा
करमा जरिये कायम मुकाम बनाम नाथु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
24-12-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी। श्री विकास पाराशर, अभिभाषक अप्रार्थी। **आदेश** 1. यह निगरानी राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–10–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.1 वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया। दौराने वाद अप्रार्थी ने एक प्रार्थना अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व आदेश 18 नियम 18 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ ने अपने आदेश दिनांक 9–10–06 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु अपने आदेश में कोई ठोस आधार अंकित नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पैतृक भूमि होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया तथा उसे अपने दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करना है कि विवादित आराजी पैतृक संपत्ति है अथवा नहीं। कमिश्नर रिपोर्ट के माध्यम से वह वाद में साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है मौका कमिश्नर के जरिये अप्रार्थी के पक्ष में अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती तथा मौका कमिश्नर नियुक्त कर किसी भी पक्षकार के लिये साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती। पक्षकार को अपना पक्ष स्वयं समुचित साक्ष्य एवं दस्तावेजात से सिद्ध करना होता है। प्रार्थनापत्र सिर्फ अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में स्पष्ट रूप त्रुटि कारित की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिससे प्रकरण का सही एंव प्रभावपूर्ण निस्तारण हो सके और कोई पक्ष प्रकरण की विषय वस्तु को खुर्द–बुर्द कर भौतिक स्थिति में बदलाव नहीं कर सके, इसके लिये न्यायहित में मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक है। मौका रिपोर्ट प्रकरण के सहीं निस्तारण में प्रभावी हो सकती है तथा मौका रिपोर्ट को रिकोर्ड पर लेने से किसी पक्षकार को कोई क्षति भी नहीं होगी। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

पत्र सही स्वीकार किया है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट रिकोर्ड पर लेने से प्रकरण की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पडता है और न ही इससे प्रार्थी के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ आलोच्य आदेश का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दौराने वाद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व आदेश 18 नियम 18 जाब्ता दीवानी को न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ ने अपने आदेश दिनांक 9–10–06 द्वारा स्वीकार कर मौका कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। किसी भी विचाराधीन वाद में स्थल निरीक्षण करने के लिये कमश्निर नियुक्त करने के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 में निम्न प्रकार हैः–

> ***"Rule 9: Commissions to make local investigations:***
> *In any suit in which the Court deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market-value of any property, or the amount of any mesne profits or damages or annual net profits, the Court may issue a commission to such person as it thinks fit directing him to make such investigation and to report thereon to the Court:*
>
> ***Provided that,*** *where the State Government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the Court shall be bound by such rules."*

आदेश 26 नियम 9 के उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि स्थल निरीक्षण हेतु **कमिश्नर की नियुक्ति करना न्यायालय के विवेकाधीन अधिकारों के अधीन है। अगर किसी प्रकरण में विषय के विशदीकरण के या किसी सम्पत्ति के बाजार–मूल्य के या किन्ही अन्तःकालीन लाभों या नुकसान के या वार्षिक शुद्ध लाभों की रकम के अभिनिश्चयन के प्रयोजन के लिये** (for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market-value of any property, or the amount of any mesne profits or damages or annual net profits) **अपेक्षित या उचित समझे तो न्यायालय द्वारा ऐसे अन्वेषण के लिये कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है।** इस प्रकार आदेश 26 नियम 9 के प्रावधान पूर्णतः न्यायालय के स्व–प्रेरणा पर आधारित है और यथावर्णित सीमित प्रयोजन के लिये है। इसके अलावा आदेश 26 नियम 9 किसी भी पक्षकार को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का अधिकार भी प्रदान नहीं करता है। विधायिका द्वारा जहां भी पक्षकारान को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है वहां समुचित प्रावधान किया गया है, जैसे आदेश 26 नियम 1 में किसी साक्ष्य का परीक्षण कमिशन के माध्यम से कराने का प्रावधान है, जिसके लिये नियम 2 में प्रावधान किया गया है कि साक्ष्य के परीक्षण हेतु कमीशन न्यायालय द्वारा स्वयं के स्तर से अथवा किसी पक्षकार अथवा साक्ष्य के प्रार्थनापत्र के आधार पर जारी किया जा

सकता है। किन्तु नियम 9 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। स्पष्ट है कि विधायिका द्वारा पक्षकारान को ऐसा अधिकार जानबूझ कर नहीं दिया गया है अन्यथा पक्षकारान स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत करने की बजाय सदैव ही न्यायालय से कमीशन का अनुरोध करते रहेंगे। सारांश यह है कि आदेश 26 नियम 9 किसी भी पक्षकार को कमिश्नर नियुक्ति हेतु न्यायालय से अनुरोध करने का अधिकार नहीं देता है। न्यायिक दृष्टान्तों सहित मण्डल एवं उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों की एक लम्बी श्रृंखला है जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी पक्षकार के हित में अथवा उसके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करने का कार्य न्यायालय की एजेंसी से नहीं कराया जाना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त करने का स्पष्ट प्रयोजन वादग्रस्त भूमि बाबत यह रिपोर्ट मंगाना है कि विवादित आराजी पैतृक है या नहीं तथा उस पर कौन काबिज–काश्त है। इस प्रकार की रिपोर्ट स्पष्ट रुप से साक्ष्य एकत्रित करने की श्रेणी में आती है और, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, जब मुख्य विवाद ही विवादित भूमि के पैतृक होने तथा कब्जे का हो तो साक्ष्य एकत्रित करने का कार्य न्यायालय द्वारा अथवा न्यायालय की एजेंसी द्वारा नहीं किया जा सकता है। मौका कमिश्नर नियुक्त कर न्यायालय द्वारा किसी पक्ष विशेष की तरफ से साक्ष्य एकत्रित नहीं करनी चाहिये अपितु पक्षकारान को स्वयं अपने स्तर से समुचित साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर अपना पक्ष सिद्ध करना चाहिये। वैसे भी पक्षकार को अपना प्रकरण स्वयं दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करना होता है और अपने पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने के लिये न्यायालय की तरफ नहीं देखना चाहिये। अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी का प्रार्थना अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 जाब्ता दीवानी स्वीकार करने का कोई स्पष्ट एवं ठोस कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी पैतृक है अथवा नहीं को सिद्ध करने के आधार पर हस्तगत् प्रकरण में किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् मौका कमिश्नर सिर्फ कब्जे को सिद्ध करने हेतु अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से लाया जाना प्रतीत होता है। जिसको स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–10–06 का समर्थन नहीं किया जा सकता।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 9–10–06 द्वारा कमिश्नर नियुक्त करना क्षेत्राधिकार के गलत उपयोग की श्रेणी में आता है और ऐसा आदेश निगरानी के माध्यम से निरस्तनीय है। हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 9–10–06 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण वर्ष 2006 से लम्बित है। अतः उपखंड अधिकारी कुशलगढ को निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्ष को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निस्तारण यथासंभव 6 माह में नियमानुसार करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य